



उ०प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन (विस्तार),

लखनऊ

Phone no. 0522-2288187

Email: sectrustlko@gmail.com

Website: www.uppst.org

पत्र संख्या- 627/ट्रस्ट/पेंशन

दिनांक-27.06.2018

निदेशक (वित्त)

उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/

ई०मेल०

उ०प्र०ज०वि०नि०लि०

समस्त डिस्कामस/केस्को

विषय:- कोषागार के माध्यम से ऊर्जा निगम से सेवा निवृत्त कार्मिकों को अनन्तिम पेंशन /अनन्तिम ग्रेच्युटी का भुगतान।

जैसा कि अवगत है कि शासनादेश 02/2018/810/24-पी०२-17 सा० (84)/2014 दिनांक 26.03.18 के अनुरूप दिनांक 01.04.18 के उपरान्त अनन्तिम पेंशन एवं अनन्तिम ग्रेच्युटी का भुगतान कोषागार के माध्यम से कराया जाना है। इस संबंध में संज्ञानित है कि डीडीओ कोड आबंटित होने की आवश्यकता होते हुए अभी तक कोषागार के माध्यम से भुगतान प्रारम्भ नहीं हो सका है जिसके कारण अनन्तिम पेंशन भोक्ताओं में असन्तोष बना हुआ है। उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा अपने डीडीओ कोड से अनन्तिम पेंशन एवं अनन्तिम ग्रेच्युटी संबंधित बीजक के सापेक्ष धनराशि के आहरण/भुगतान की प्रक्रिया आदि के संबंध में शीघ्र शासनादेश निर्गत होने की संभावना है।

उपरोक्त शासनादेश के अनुसार कुछ इकाईयों द्वारा सीधे हस्ताक्षर सत्यापन किए जाने हेतु पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें आवश्यक सूचनाएं भी इंगित नहीं की गई हैं। अतएव उपरोक्त शासनादेश के बिन्दु 1 एवं 4 को संज्ञान में लेते हुए **सलंगन प्रारूप-पत्र** में निगम की नियन्त्रणाधीन समस्त जनपदीय (सलंगन सूची अनुसार) स्तर के अधिकारियों (पेंशन वितरण अधिकारी) के हस्ताक्षर, एवं निगम स्तर पर कोषागार के कार्यों के अतिरिक्त अनन्तिम पेंशन एवं अनन्तिम ग्रेच्युटी के बीजक आदि कोषागार प्रेषित करने हेतु प्रतिहस्ताक्षरित करने संबंधित कार्य हेतु नामित नोडल अधिकारी के नमूना हस्ताक्षर मूल रूप में सत्यापित/अभिप्रमाणित करते हुए सचिव (ट्रस्ट) कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित की जाए जिससे अग्रिम कार्यवाही कर, निगम को उनके स्तर से संबंधित जनपदीय पेंशन आहरण वितरण अधिकारियों/कोषागारों को प्रेषित करने हेतु ट्रस्ट स्तर से प्रेषित किया जा सके।

उपरोक्त संबंध में उच्च प्राथमिकता पर कार्यवाही अपेक्षित है जिससे कि लम्बित पेंशन का भुगतान माह जून 2018 की अनन्तिम पेंशन के भुगतान के साथ सुनिश्चित हो सके।

(पी०के० गुप्ता)

महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)

एवं सचिव (ट्रस्ट)

पत्र संख्या- 627/ट्रस्ट/पेंशन

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (वित्त एवं ट्रस्टी) उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन लखनऊ।
2. समस्त महाप्रबन्धक(वित्तएवंलेखा)/उपमहाप्रबन्धक उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०का०द्रा०लि०/उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०ज०वि०नि०लि०/समस्त डिस्काम एवं केस्को।
3. समस्त उपमहाप्रबन्धक /उपमुख्य लेखाधिकारी/ परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण/सामाग्री प्रबन्ध/पारेषण) एवं तापीय परियोजनायें उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०का०द्रा०लि०/उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/ उ०प्र०ज०वि०नि०लि०/समस्त डिस्काम एवं केस्को।
4. उपसचिव उ०प्र०पा०से०इ० ट्रस्ट को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

ई०मेल०

(पी०के० गुप्ता)

महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)

एवं सचिव (ट्रस्ट)

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक:-/...../

दिनांक:-

सचिव ट्रस्ट
यू०पी० स्टेट पा०से०इ० ट्रस्ट
शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।

विषय:- प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उ०प्र० शासन के पत्रांक 2/2018/810/24-पी० 2-17 सा० (84)/2014 दिनांक 26.03.18 के संदर्भ में अनन्तिम पेंशन /ग्रेच्युटी बीजक को अग्रसारित किए जाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के नमूना हस्ताक्षर प्रेषित किए जाने के सम्बन्ध में:-

उपर्युक्त विषयक आदेश/पत्रांक के बिन्दु 1 एवं 4 जिसमें उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड/उ०प्र० जल विद्युत निगम लिमिटेड/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/पूर्वांचल/केस्को (अप्रयोज्य काट दें) में जनपद के अधिकृत अधिकारी को अनन्तिम पेंशन/अनन्तिम ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु बीजक कोषागार को अग्रसारित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। उक्तानुसार जनपदीय स्तर पर प्राधिकृत अधिकारी एवं निगम स्तर पर नामित नोडल अधिकारी के नमूना हस्ताक्षर निम्नवत विवरण अनुसार सत्यापित/अभिप्रमाणित करते हुए मूल रूप में तीन प्रतियों में प्रेषित किये जा रहे हैं। अतः श्रीजनपदीय प्राधिकृत अधिकारी के नमूना हस्ताक्षर एवं श्रीनिगम स्तर पर नामित नोडल अधिकारी के नमूना हस्ताक्षर अपने स्तर से सत्यापित/अभिप्रमाणित कर निदेशक (कोषागार), उ०प्र०, लखनऊ, संबंधित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी को प्रेषित करने के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

जनपद में अधिकृत अधिकारी का नाम, पदनाम, दूरभाष संख्या, मो० सं०, ई० मेल सहित कार्यालय का पूर्ण पता	नमूना हस्ताक्षर
कोषागार संबंधी कार्य हेतु निगम में अधिकृत अधिकारी का नाम, पदनाम, दूरभाष सं०, ई०मेल० सहित कार्यालय का नाम	

उपरोक्तानुसार हस्ताक्षर सत्यापित

उपमहाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/मु० महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
संबंधित निगम

सचिव उ०प्र०पा०से०इ० ट्रस्ट
शक्ति भवन लखनऊ

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संबंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
2. निदेशक (वित्त) संबंधित डिस्कामस/निगम।
3. संबंधित पेंशन वितरण अधिकारी।

ई०मेल०

उपमहाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/मु० महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
संबंधित निगम